प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद सं० 106/12 –13

कुश कुमार वनाम् रामईश्वर राम एवं अन्य

आदेश

11.04.13

आवेदक कुश कुमार पिता श्री भगवान राम ग्राम रसीदपुर थाना वो जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया हैं। विवादित भूमि जो ग्राम रसीदपुर थाना नं०15 जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
35	187	73 डी०	उ०–बेचन खॉ द०– असलानपुर सीमांन पू०–काजीचक सीमांन प०– मुखलाल गड़ेडी एवं किशुनी गड़ेडी

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) विवादित भूमि आवेदक के स्वर्गीय दादा मिठू राम को हुकुमनामा से प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में आवेदक के सभी फरीकैन का अलग – अलग मकान बना हुआ है तथा शेष भूमि परती है।

(2) आवेदक के मकान के पुरवारी दरवाजा से पूरब तरफ परती भूमि अपने मशरफ के अनुसार छोड़ा गया था परन्तु विपक्षीगण बलपूर्वक आवेदक की भूमि में बढ़कर पैखाना का टंकी,ईट फूस का मकान बना लिया है तथा शेष भूमि को दखल करना चाह रहे है।

(3) आवेदक का गाड़ा हुआ नाद खूँटा बाहर फेंक दिया गया है और मना करने पर गाली गलौजा एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) आवेदक अपने वाद अर्जी में प्रश्नगत भूमि का रकवा 73 डी०अंकित किये है जबकि उक्त वाद में वादी की ओर से दाखिल तथाकथित रिटर्न में भूमि का रकवा 3 कट्टा 4 धूर अंकित है। रकवा में भिन्नता होने का कोई कारण वादी की ओर से नहीं बताया गया है जबकि खतियान के अनुसार प्रश्नगत खाता खेसरा की भूमि का रकवा 16 डी०है।

(2) सर्वे खतियान के अनुसार प्रश्नगत् भूमि का किस्म गैर मजरूआ आम है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र सं०15/रा०3 नीति 27/97–914/रा०दिनांक 09.12.98 द्वारा निर्देश दिया गया है कि आम गैर मजरूआ भूमि की बंदोबस्ती रद्द करने की कारवाई विभागीय परिपत्र

सं०1/XV –1038/53–4097 रा० दिनांक 23.09.95 के आलोक में की जा सकती है।

(3) विपक्षीगण गरीब भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्य है तथा उपरोक्त पत्र के कंडिका 5 में यह उल्लेखित है कि आम गैरमजरूआ भूमि में बसे हुए अनुसूचित जाति सदस्य (परिवार) को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

(4) आवेदक का कहना कि विपक्षीगण पैखाना की टंकी एवं ईट की दीवार एवं फूस की छावनी वादी की भूमि में बढ़कर बना लिया है,झूठा वो गलत है। विपक्षीगण प्रश्नगत भूमि में बने मकान को आपस में बॅटवारा कर सभी फरीकैन अलग–अलग है तथा अपना अपना मकान काफी पूर्व से बनाये हुए है और मकान बनाने के क्रम में पैखाना की टंकी भी शांतिपूर्वक बिना विवाद के प्रतिवादी द्वारा बनाया गया है जिसे विपक्षीगण शांतिपूर्वक उपयोग में ला रहे है।

(5) प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि में चार फीट चौड़ा विधायक मद से ईॅट सोलिंग किया जा चुका है जिससे प्रतिवादीगण के साथ साथ आम ग्रामीण ब्यक्ति भी आते जाते है।

(6) धारा 145,वाद सं० 1481/09
318/11
वादी के पिता श्री भगवान राम वनाम् द्वितीय पक्ष के झगरू पासवान वगैरह अनुमंडल न्यायालय में उपरोक्त 73 डी०पर चला जिसका खण्डन विपक्षीगण के अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से न्यायालय के समक्ष किया गया था जिसमें संधिपत्र के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त किया गया एवं संधिपत्र को डिक्री का अंश माना गया है जिसकी नकल की छाया प्रति इस लिखित बहस के साथ संलग्न है।

(7) विपक्षी – 1 के बने मकान के आगे पश्चिम तरफ जो सहन भूमि है उसी को हड़पने के उद्देश्य से एवं उतर तरफ जो गड्ढा (चाहर पोखरी) है जिसमें पूरे गॉव का पानी जाता है उसे भी अपने कब्जे में लेने हेतु आवेदक द्वारा यह वाद लाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने विवादित जमीन खाता 35 खेसरा 187 के 73 डी०जमीन पर वाद लाया है जबकि आवेदक द्वारा दाखिल हुकुमनामा की हिन्दी रूपान्तरण में आवेदक को मात्र 3 कट्टा 4 धूर जमीन ही हुकुमनामा बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त है। उस परिस्थिति में उनके द्वारा 73 डी०पर वाद नहीं लाया जा सकता है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

11.04

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।